।। कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक 508 /13वें वि0आ0–जि0नवा0नि0/2015–16 दिनांक 05 जून, 2015

विज्ञप्ति

भारत सरकार द्वारा 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ''जिला नवाचार निधि'' के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृति की जानी हैं जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में अभिनव परियोजनाओं को लिया जाना है। विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय विभागों, शोध एवं शिक्षा संस्थाओं संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं आदि से ऐसे अभिनव परियोजनाओं के प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं जो जनसमुदाय के सामाजार्थिक विकास में सहायक हों तथा मांग आधारित हो। प्रस्ताव में आचार, मुरव्वा, मसाले, बैग आदि बनाना अभिनव प्रवृत्ति से बाहर है। उक्त से सम्बन्धित प्रस्ताव जिसमें प्रोजेक्ट का उद्‌देश्य, कुल लागत, लाभ–लागत अनुपात आदि का विवरण दें। अन्तिम रूप से चयनित संस्था द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव की कुल लागत का 10 प्रतिशत प्रतिभूति के रूप में जमा किया जायेगा। इस हेतु **अन्तिम तिथि 15 जून, 2015 है** तथा प्रस्ताव 3 प्रतियों में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय, विकास भवन पौड़ी गढ़वाल में पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त किये जायेगें। प्रस्ताव के साथ संस्था की विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट एवं संस्था से सम्बन्धित अभिलेख भी संलग्न करें। अधिक जानकारी इस कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस एवं www.des.uk.gov.in पर प्राप्त की जा सकती हैं।

अर्थ एवं संख्याधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

मुख्य विकास अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

जिलाधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।